न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–1689/2015

उनवान

1. रामगोपाल पिता अर्जुन गुर्जर निवासी सरेरी स्टेशन, तहसील हुरड़ा
–वादी

बनाम

2. महावीर सिंह पिता प्रताप सिंह राजपुत निवासी सनोदिया तहसील हुरड़ा
– प्रतिवादी

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार मेहता, वकील वादी
श्री कृपाशंकर शर्मा, वकील प्रतिवादी

<u>वादपत्र अर्न्तगत धारा–183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट</u>

–: निर्णय :–

दिनांक– 11.05.2017

1. वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि मौजा सनोदिया तहसील हुरड़ा 1350 रकबा 08 बीघा आराजी स्थित है।
2. आराजी नम्बर 1350 का बडा रकबा है जिसमे मे से पश्चिम दिशा की ओर वादी की 08 बीघा आराजी स्थित है। उक्त आराजी से प्रतिवादी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी उन्होंने दिनांक 15.06.2010 को उक्त आराजी को वादी का जबरन बेदखल कर अपना अधिपत्य कर लिया और उक्त आराजी पर वह अतिक्रमी हेसियत से काबिज है।
3. वादी ने प्रतिवादी को उक्त आराजी से अपना कब्जा हटा कर वादी को कब्जा सोंपने बाबत कई बार तकाजा किया जिस पर वह टाला टूली का जवाब देते रहे और बिल अखिर दिनांक 05.06.2015 मना कर दिया इस लिय उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की नोबत पेश आई ।
4. अंत मे अंकित किया गया कि वादी को मौजा सनोदिया मे स्थित आराजी नम्बर 1350 मे से पश्चिम दिशा की 08 बीघा आराजी से बेदखल कराया जाकर कब्जा वादी को दिलाये जाने की डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी सादिर फामायी जावें ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

5. प्रस्तुत याद पत्र याद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी की ओर से दिनांक 10.01.2017 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । तत परयात प्रकरण तनकियात मे निहित किया गया ।
6. तत पश्चात प्रकरण आज लोक अदालत मे प्रस्तुत हुआ वकील उभय पक्ष उपस्थित हुये वकील यादी ने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत मे करवाये जाने की इस्तदुआ करने पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वक्त बहस वकील यादी ने अपने याद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अंत मे कथन किया कि दावा यादी स्वीकार फरमाय जाकर आराजी नम्बर 1350 मे से पश्चिम दिशा की 08 बीघा आराजी से बेदखल करवाया जाकर कब्जा यादी को दिलाया जावें ।
7. जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि यादी ने गलत तथ्यों पर याद पत्र प्रस्तुत किया है प्रतिवादी का मौके पर याद पत्र मे अंकित आराजियात पर कब्जा नहीं है और न ही मौके पर यादी का कब्जा है मौका स्थिति अलग है अंत मे कथन किया कि दावा यादी खारिज फरमाया जावें ।
8. मैने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी बहस पर मनन किया पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया विवेचन निम्न प्रकार से रहा है । यादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2059 से 2071 मौजा सनोदिया तहसील हुरड़ा के अनुसार याद ग्रस्त आराजी नं. 1350 रकबा 08 बीघा भूमि रामगोपाल पिता अर्जुन गुर्जर साकिन सरेरी स्टेशन के नाम दर्ज रेकार्ड दर्ज होना प्रकटा आया है।
9. यहां वकील यादी का कथन है कि आराजी नम्बर 1350 का बडा रकबा है जिसमे से पश्चिम दिशा की ओर यादी की 08 बीघा आराजियात है जिस पर प्रतिवादी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं होते हुये भी उन्होने यादी को बेदखल कर अपना कब्जा कर लिया और वह अतिक्रमी की हेसियत से काबिज है जिसे हटाया जाकर कब्जा यादी को सुपुर्द करवाया जावें । इसके विपरित प्रतिवादी का कथन हे कि यादी ने गलत तथ्यों पर याद पत्र प्रस्तुत किया है प्रतिवादी का मौके पर कोई कब्जा नहीं है । और न ही यादी का मौके पर कब्जा है ।
10. जवाब बहस मे उपस्थित यादी ने कथन किया कि प्रतिवादी के द्वारा यादी को बेदखल कर भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है । जिसकी नपती करवा ली जावें । यदि कब्जा प्रतिवादी का पाया जावें तो उसे बेदखल कर कब्जा यादी को दिलवाया जावें । इस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी ने भी कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करने से न्यायालय लोक अदालत की भावना से दावा यादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश सुनाया जाना न्यायालय उचित समझता है कि

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

—:निर्णय:—

दावा वादी डिक्री किया जाकर गिरदावर व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों की उपस्थिति मे मौजा सनोदिया तहसील हुरड़ा की आराजी नम्बर 1350 रकबा 08 बीघा भूमि को मौके पर जाकर नपती करें । यदि प्रतिवादी का उक्त आराजियात पर कब्जा पाया जावे तो उसे बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हों। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 11.05.2017 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिकी

(आदेश–20 के नियम–6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट कंवलियास

बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या– 1689/2015

1. रामगोपाल पिता अर्जुन गुर्जर निवासी सरेरी स्टेशन तहसील हुरड़ा

–वादी

बनाम

1. महावीर सिंह पिता प्रताप सिह राजपुत निवासी सनोदिया तहसील हुरड़ा

प्रेषिति:–

–प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से श्री राजेश कुमार मेहता प्रतिवादी की ओर से श्री कृपाशंकर शर्मा की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 11/05/2017 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है । दावा वादी डिकी किया जाकर गिरदावर व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों की उपस्थिति मे मौजा सनोदिया तहसील हुरड़ा की आराजी नम्बर 1350 रकबा 08 बीघा भूमि को मौके पर जाकर नपती करें । यदि प्रतिवादी का उक्त आराजियात पर कब्जा पाया जावे तो उसे बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रू. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें।

यह आज तारीख 111/05/2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

वादे के खर्चे

वदी	रूपये	पैसे	वादी	रूपये	पैसे
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस–तलवाना	01		6. कमिश्नर की फीस		00
7. आदेशिका की तामील					
8. स्टाम्प					
योग:–	04	00		01	00

Scanned by CamScanner